गोपू बनाम गोकुल वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए
	मु० नं० – 1/2018	
18-1-18	पत्रावली [illegible] अवकाश/पीठासीन अधिकारी [illegible] / पीठा[illegible] / अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-1-18 को पेश हो। Vishal	
24-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उपस्थित/ पीठा[illegible] / अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5-2-18 को पेश हो। Raj	
5-2-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकैन उपस्थित/ पीठा[illegible] / अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-2-18 को पेश हो। Vishal	
16-2-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण नं० 1 से 10 की नोटिस तामील इन्कारी/पञ्चनामा मय दो गवाहान के हस्ताक्षरों से होकर आये है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः अप्रार्थीगण नं० 1 से 10 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष अप्रार्थी नं० 11 से 13 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश होने पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 7-3-18 को पेश हो। Gm	
07.03.2018	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थी नम्बर 12 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी नम्बर 12 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र टी.आई. विड्रा किये जाने का निवेदन किया है। Gm	

Scanned by CamScanner

जाधू बनाम गोकुल वगैरह

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मु० नं० - 1/2018	

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना जाकर वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नम्बर 12 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने तथा मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चूकी है तथा शेष अप्रार्थी न. 12 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा की जा चूकी है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1013, 1014, 1015 कुल किता 3 कुल रकबा 4.60 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार मण्डल सॉवलपुरा तवॅरान तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावी फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रहमलाल जाट)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner